उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्याः 968/ XXIV-C-3 / 2022–12(13)2018
देहरादून, दिनांकः 26th जुलाई, 2025

सार्वजनिक नोटिस

महादेवी कन्या पाठशाला सोसायटी की स्थापना वर्ष 1906 में महिलाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से की गयी थी। इस सोसायटी के अन्तर्गत महादेवी कन्या पाठशाला (एम0के0पी0 पी0जी0) कॉलेज, देहरादून की स्थापना वर्ष 1958 में की गयी। एम0के0पी0 पी0जी0 कॉलेज, देहरादून राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय है, जो कि वर्तमान में हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) से सम्बद्ध है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर की स्थापना हुयी। एम0के0पी0 पी0जी0 कॉलेज, देहरादून तत्समय से इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के उपरांत भी संबंधित महाविद्यालय इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

2– भारत सरकार द्वारा देश में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख–रखाव हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित किया गया जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गयी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 26 के अधीन यू0जी0सी0 (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज को सम्बद्धता) विनियम, 2009 संशोधन, 2012 प्रख्यापित किया गया है। इस विनियम के नियम 3.2.1 में प्राविधानित है कि यदि कॉलेज/महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, तो महाविद्यालय का प्रबन्धन/संचालन विधिवत् रूप से गठित तथा पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–2(13) में सम्बद्ध महाविद्यालय के "प्रबंध तंत्र" को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

"प्रबंध तंत्र किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के संबंध में, प्रबंध समिति या ऐसे अन्य निकाय से अभिप्रेत है जिसे उस महाविद्यालय के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए भारित किया गया है और उसे विश्वविद्यालय द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।"

अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रबंध तंत्र द्वारा किये जाने के प्राविधान निहित हैं। हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2000 के अध्याय 13 में महाविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किए जाने तथा वित्त संपरीक्षा तथा लेखा के संबंध में प्रबंध समिति द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

3– कार्यालय उपनिबंधक, फर्म्स, सोसायटी एवं चिट्स, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 711 दिनांक 26.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि महादेवी कन्या पाठशाला सोसायटी का पंजीकरण का अंतिम नवीनीकरण दिनांक 10.10.2015 तक वैध था। वर्तमान में संस्था सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 3(ए) के अन्तर्गत अपंजीकृत संस्था की श्रेणी में आ गया है। वर्तमान में संस्था की कोई भी वैध कार्यकारिणी पंजीकृत नहीं है।

4– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा अपने पत्र संख्याः–95/2025, दिनांक 11 जून, 2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि

विश्वविद्यालय द्वारा एम0के0पी0(पी0जी0) कॉलेज, देहरादून की प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है।

5— वर्ष 2013 में उपनिबंधक, फर्म्स, सोसायटी एवं चिट्स, देहरादून द्वारा दिनांक— 04.04.2013 द्वारा संस्था के संशोधित संविधान को रद्द करते हुए संस्था द्वारा संशोधित संविधान के अर्न्तगत किये गये समस्त कार्य अवैधानिक घोषित किये गये। संस्था द्वारा उक्त आदेश दिनांक 04.04.2013 के विरूद्ध कमिश्नर गढ़वाल मण्डल में अपील सं0. 7/2012—13 योजित की गयी। आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा दिनांक 06.04.2015 द्वारा अपील अस्वीकृत कर दी गयी। संस्था द्वारा पुनः आयुक्त गढ़वाल मण्डल के आदेश दिनांक 06.04.2015 के आदेश के विरूद्ध रिट याचिका सं0 853(एम0एस0)/2015 योजित की गयी।

रिट याचिका संख्या 853/2015 एवं रिट याचिका संख्या 198/2016(एम/एस0) में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2020 को पारित आदेश पारित किए गये:—

> ***82. In the light of the foregoing discussions, we find that the Deputy Registrar had power to reject the amendments of the Constitution of the petitioner Society and the Deputy Registrar had authority to direct petitioner Society to conduct fresh elections.***
>
> ***83 Since the certificate of registration of the Society has expired on 09.10.2015 and the application for renewal of the certificate of registration of the Society is still pending before the Deputy Registrar, we direct the Deputy Registrar to convene a meeting of all the members of the Society for election of the Managing Committee within three months from the production of the certified copy of this Order and after Managing Committee is duly constituted then consider its request for renewal of the certificate of registration of the Society in accordance with law.***
>
> ***84. Subject to the aforesaid observations, the Writ Petition No.853 of 2015 (M/S) and Writ Petition No.198 of 2016 (M/S) are dismissed. No order as to costs.***

6— मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08 जनवरी, 2020 के विरूद्ध संस्था द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 3996—3997/2020 में दिनांक 03 मार्च, 2020 को मा0 न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 853/2015 में पारित आदेश दिनांक 08 जनवरी, 2020 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 3996—3997/2020 में दिनांक 03 मार्च, 2020 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के दृष्टिगत डिप्टी रजिस्ट्रार, कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2020 के माध्यम से सूचना प्रदान की गयी कि वर्तमान में सोसाइटी—महादेवी कन्या पाठशाला कॉलेज का पंजीकरण विधिमान्य नहीं है तथा संबंधित संस्था की प्रबन्ध समिति के अस्तित्व में नहीं होने के कारण, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत चुनाव रजिस्ट्रार के द्वारा

नामित सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कराये जा सकते है। स्पेशल लीव टू पिटीशन (सिविल) सं0 3996–3997 ऑफ 2020 महादेवी कन्या पाठशाला कॉलेज सोसाइटी बनाम कमिश्नर गढ़वाल मण्डल पौडी तथा प्रतिवादी सं0 डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स, देहरादून संबंधी प्रकरण सबज्यूडिस होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रश्नगत वाद में अन्तिम निर्णय से पूर्व उपरोक्त सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का चुनाव विधिमान्य नहीं हैं।

7– वर्तमान में महादेवी कन्या पाठशाला सोसायटी वर्ष 2015 से अपंजीकृत श्रेणी में है तथा प्रबंध समिति हे0न0ब0विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। संस्था के अपंजीकृत होने तथा प्रबंध समिति के अनुमोदित न होने के कारण वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय के संचालन की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

8– महादेवी कन्या पाठशाला कॉलेज देहरादून के संचालन/प्रबंधन की उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में महाविद्यालय कार्मिकों के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, महाविद्यालय में शिक्षक/शिणेत्तर कार्मिकों की भर्ती एवं पदोन्नति नहीं हो पा रही है, कार्मिकों के अन्य सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, महाविद्यालय में पठन–पाठन दुष्प्रभावित हो रहा है तथा कार्मिकों के अभाव में महाविद्यालय की छात्र संख्या में भी निरन्तर गिरावट हो रही है। संस्था द्वारा महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता किये जाने से संबंधित तथ्य भी प्रकाश में आये हैं।

9– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के विधिपूर्ण संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विधिक प्रबंध समिति का होना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 60(डी) में किसी समबद्ध महाविद्यालय के कार्मिकों को वेतन संदाय प्रदान किये जाने का प्राविधान निहित है, जिसमें महाविद्यालय प्रबंध समिति के प्रतिनिधि एवं उपनिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाने का प्राविधान है। प्रबंध तंत्र की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत महाविद्यालय के प्रबंधन हेतु मात्र प्राधिकृत नियंत्रक की व्यवस्था प्राविधानित है।

10. वर्तमान में एम0के0पी0 महाविद्यालय में वैधानिक प्रबंध समिति व प्राधिकृत नियंत्रक नहीं होने के दृष्टिगत महाविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 57 व 58 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित करते हुए प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति किया जाना छात्रहित, महाविद्यालय व लोकहित में अपरिहार्य हो गया है।

अतः महाविद्यालय की उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 57 के अन्तर्गत प्रश्नगत नोटिस/सूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस आशय के साथ प्रसारित किया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय के संचालन हेतु अधिनियम की धारा, 58 के तहत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की जानी है।

अतः उपरोक्त नोटिस/सूचना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, तो वह अपना पक्ष लिखित रूप से दिनांक 04.08.2025 को सायं 6.00 बजे तक कार्यालय सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को ईमेल/डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करें। प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सुनवाई की तिथि दिनांक 05.08.2025 समय 11.00 बजे पूर्वान्ह् को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय में निर्धारित की जाती है।

पताः–कार्यालय सचिव, उच्च शिक्षा,
कक्ष सं0– 13 सुभाष चन्द्र बोस भवन,
4 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय।
ई–मेल आई0डी0– secy-hedu-ua@nic.in

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः (1)/XXIV-C-3/2025–12(13)2018तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को उक्त नोटिस को दिनांक 27.07.2025 को निःशुल्क समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस नोटिस पत्र को तत्काल विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्राचार्या, एम0के0पी0 पी0जी कॉलेज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस नोटिस पत्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा सहित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
6. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस नोटिस पत्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा सहित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
7. उपनिबंधक, फर्म, चिट्स एवं सोसाईटीज, फण्डस, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस नोटिस पत्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा सहित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव 26/5/25